न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : बी.एम.शर्मा
सदस्य

प्रकरण क्रमांक अपील-5201-दो/2017 विरूद्ध आदेश दिनांक 13-04-2016 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा प्रकरण क्रमांक 548/अपील/2014-15

शेषमणि मिश्रा तनय स्व. श्री रामटहल मिश्रा
निवासी – ग्राम जोगिनहाई, तहसील व थाना रामपुर कुर्च
जिला रीवा म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

1. विन्धलप्रसाद मिश्र तनय स्व. श्री रामटहल मिश्रा
2. अजीत कुमार तनय स्व. श्री गिरिजाप्रसाद मिश्रा
3. अतुल कुमार तनय स्व. श्री गिरिजाप्रसाद मिश्रा
4. शान्तीदेवी बेवा पत्नी श्री गिरिजाप्रसाद मिश्रा

निवासी – ग्राम जोगिनहाई, तहसील व थाना रामपुर कुर्च जिला रीवा म.प्र. .....अनावेदकगण

श्री अरूणेन्द्र मिश्रा, अभिभाषक, आवेदक
श्री रामनरेश मिश्रा, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::
(आज दिनांक 10.5.19 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित दिनांक 13-04-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदकगण द्वारा तहसीलदार तह. रायपुर कर्चु. जिला रीवा के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि का संहिता की धारा 178, 109,110 के तहत बंटवारा नामांतरण हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया। जिस पर कार्यवाही करते हुए तहसीलदार न अपने आदेश दिनांक 09.08.2012 द्वारा बंटवारा नामांतरण स्वीकार किया गया। जिसके विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 27.09.14 द्वारा स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का आदेश निरस्त

किया गया। अनुविभागीय अधिकारी के उक्तआदेश केविरुद्ध अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के समक्ष द्वितीय अपील पेश की गई जो उनके आदेश दिनांक 13.04.16 द्वारा अपील खारिज की जाकर अनुविभागीय अधिकारी काआदेश स्थिर रखा।अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्ततु की गई है ।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह अपील मुख्य रूप से इस आधार पर प्रस्तुत की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चु. के द्वारा अपने त्रुटिपुर्ण आदेश मे यह उल्लेख किया है कि उत्तरवादी गण प्रकरण मे हाजिर नही हुए है एवं बँटवारा पुल्ली मे उनके हस्ताक्षर नही है, तथा प्रकरण मे शीघ्र सुनवाई की गयी है एवं इसी न्याया. के द्वारा अपने किसी सूक्ष्म आदेश मे बूटवारा नियम 6 का उल्लंघन होना आदेशित किया है, जबकि सत्यता यह है कि निगरानी कर्ता द्वारा तहसील न्याया. से गैर निगरानी कर्ता गणो को तलव कराने का काफी प्रयास किया, यहाँ तक कि चस्पानगी की कार्यवाही वैधानिक तरीके से करायी गयी उक्त चस्पानगीउत्तर वादी गणो के घर मे जा करके की गयी थी, इसके बावजूद भी जानबूझ करके गैर निगरानी कर्ता गण तहसील न्याया. से उपस्थित नही हुए तब उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही की जाकर निगरानी कर्ता की ओर से साक्ष्य शपथ पत्र साथियो के प्रस्तुत की गयी थी एवं तहसील न्यायालय द्वारा नियम 6 का भी सुमचित रूप से पालन करते हुए विधि सम्मत आदेश पारित किया था, जिसे दोनो अधी. न्यायालयो के द्वारा गैर निगरानी कर्ता गणो के दबाव मे आकर उक्त त्रुटि पूर्ण आदेश पारित किया है, जो हर सूरत मे निरस्तगी योग्य है।

यह कि गैर निगरानी कर्ता क्र. 0,1,व 2,3,4 की कुछ भूमियाँ नेशनल हाइवे को र लाअन मे अधिग्रहित हुई थी जिसके मुआवजा का विवाद भू-अर्जन अधिकारी तह. रायपुर कर्चु.के समक्ष विचाराधीन था, उसी की पैरवी मे गैर निगरानी कर्तागण नियतमित रूप से तहसील मे आते- जाते थे, जिससे हल्का पटवारियो के द्वारा भी बॅटवारा नामान्तरण होने की जानकारी गैर निगरानी गणो को दी गयी थी और उन्हे भली – भॉति बॅटवारा नामान्तरण की जानकारी थी इसके बावजूद भी जानबूझ कर गैर निगरानी कर्ता गण ने तहसील न्याया.मे उपस्थित नही हुए, क्योंकि पिता के द्वारा किये गये बॅटवारे की जानकारी निगरानी कर्ता व गैर निगरानी कर्ता के घर परिवार व गॉव के बहुत से लोगो को थी इसी भय के कारण तहसील न्याया. मे आमने सामने जाकर प्रकरण मे सामना करने की हिम्मत नही थी, गैर निगरानी कर्ता गणो को प्रकरण के सम्बन्ध मे प्रकरण दायर करते समय ही जानकारी थी, इन सारे तथ्यो से अधी. न्यायालयो के समक्ष तर्क के दौरान भली- भॉति अवगत कराया गया था किन्तु अधी. न्याया. ने गैर निगरानी कर्ता गण के राजनैतिक दबाव व प्रभाव के चलते अवैधानिक व त्रुटि पूर्ण आदेश पारित करते हुए गैर निगरानी कर्तागण द्वारा अनुविभागीय अधि.तह. रायपुर कर्चु. द्वारा जो अपील स्वीकार की गयी है वह विधि सम्मत नही है तथा अपर आयुक्त महोदय द्वारा निगरानी कर्ता की जो अपील निरस्त की है वह भी प्राकतिक न्याय सिद्धांत के विरूद्ध होने से सब्यय निरस्तगी योग्य है।

यह कि गैर निगरानीकर्तागण को बॅटवारा नामान्तरण की भली- भॉति जानकारी है, जिसके सम्बन्ध मे धारा 5 म्याद अधि.के आवेदन पत्र का जवाब निगरानी कर्ता के द्वारामय शपत्र पत्र के दियागया था तथा गैर निगरानी कतार् गण की अपील ही बेरूम्याद थी, इसके बावजूद भी अधी. न्याया.ने उत्तरवादी गण द्वारा

प्रस्तुत अपील को म्याद के अन्दर मानने की महान कानूनी भूल किया है जिससे भी अधी. न्यायालयो का आदेश विधि सम्मत न होने से निरस्ती योग्य है।

4/ आवेदक एवं अनावेदक के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्क श्रवण किये गये ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का अवलोकन किया। अपीलाधीन प्रकरण में ग्राम जोगिनहाई की भूमि रकवा 5.301 हे. ग्राम बधवा की भूमि रकवा 1.847 हे. ग्राम रायपुर कुर्च. की भूमि रकवा 0.572हे. के बंटवारे का विवाद है । तहसीलदार न्यायालय के मूल प्रकरण का अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण में अनावेदक क्रमांक 4 को पक्षकार नहीं बनाया गया है । आवेदक को चस्पा द्वारा सूचना दी गई है । चस्पा द्वारा सूचना देने के पूर्व आवेदकगणों को कोई नोटिस जारी होना प्रकरण में संलग्न नहीं है । जो तामीली निर्वाह के नियम के विपरीत है । मूल बंटवारा प्रकरण में बटवारा पुल्ली का प्रकाशन नहीं पाया जाता और न ही प्रस्तावित पुल्लियों पर कोई आपत्ति आमंत्रित की गई है । तहसीलदार द्वारा की गई कार्यवाही अतिशीघ्रता में की गई प्रतीत होती है । मैं अनावेदक के इस तर्क से सहमत नहीं हूं कि दोनों पक्षों का बटवारा जीवनकाल में किया जा चूका था। क्योंकि इस संबंध में कोई भी साक्ष्य अथवा अभिलेख रिकार्ड पर नहीं है । तहसीलदार द्वारा बटवारे की उपरोक्तानुसार की गई दूषित कार्यवाही को निरस्त करनेमें अनुविभागीय अधिकारी एवं अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा का आदेश विधिसंगंत होकर हस्तक्षेप योग्य नहीं है । अत: अपर आयुक्त रीवा संभागरीवा का आदेश स्थिर रखा जाकर प्रस्तुत निगरानी आवेदन अस्वीकार किया जाता है ।

(बी.एम.शर्मा)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर